रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265406
CG-DL-E-13082025-265406

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947
No. 565] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

फा. सं. वी.15012/26/2025/सीएमएचए(अ).—केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017, (2017 का 10) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) संशोधन विनियम, 2025 है।

   (2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) विनियम, 2020 में, अध्याय-VI के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

अध्याय- VII

मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं का वर्गीकरण और प्रवर्ग

19. (1) मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं का वर्गीकरण और प्रवर्ग। मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं में निम्नलिखित वर्गीकरण और प्रवर्ग सम्मिलित होंगे, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है, अर्थात्:

सारणी

क्रम संख्या	*वर्गीकरण*	*प्रवर्ग*
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	*स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य स्थापन*	प्रवर्ग क
2.	*चिकित्सा महाविद्यालयों के मनश्चिकित्सा विभाग*	प्रवर्ग ख
3.	*बहु-विशेषज्ञता अस्पतालों के मनश्चिकित्सा वार्ड*	प्रवर्ग ग
4.	स्वतंत्र नशामुक्ति केंद्र	प्रवर्ग घ
5.	मनोसामाजिक पुनर्वास केंद्र	प्रवर्ग ङ

(2) उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत संबंधित प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत होगा।

(3) प्रवर्ग 'क' मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में, -

(क) किसी सामान्य या बहु- विशेषज्ञता अस्पताल व्यवस्था का हिस्सा बने बिना, अंतरंग रोगी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र और समर्पित केंद्र होगा;

(ख) इसमें स्वतंत्र केंद्रीय और राज्य मनश्चिकित्सा अस्पताल या संस्थान, निजी मनश्चिकित्सा अस्पताल या संस्थान, और मनश्चिकित्सा नर्सिंग होम सम्मिलित हैं;

(ग) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है, अर्थात्: -

(i) अंतरंग रोगी देख-रेख, जिसमें तीक्ष्ण संकट प्रबंधन कार्यकलाप, दीर्घकालिक देख-रेख और मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों का उपचार सम्मिलित है;

(ii) व्यापक मनोरोग सेवाएँ, जिनमें निदान, औषधीय और मनोसामाजिक हस्तक्षेप, और पुनर्वास घटक सम्मिलित हैं।

(4) प्रवर्ग 'ख' मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में, -

(क) मेडिकल कॉलेजों के मनश्चिकित्सा विभागों के भाग के रूप में अंतरंग रोगी सुविधा की व्यवस्था होगी, जो एकीकृत नैदानिक और शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करेगा;

(ख) इसमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के अंतरंग रोगी मनश्चिकित्सा वार्ड सम्मिलित हैं;

(ग) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात्: -

(i) मेडिकल कॉलेजों की एकीकृत शैक्षणिक और नैदानिक संरचना, जो मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायों में क्षमता निर्माण में योगदान दे;

(ii) नैदानिक देख-रेख, स्नातक/स्नातकोत्तर प्रशिक्षण, और मनश्चिकित्सा अनुसंधान में संलग्न हो;

(iii) सह-रुग्ण मनश्चिकित्सीय और शारीरिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एकीकृत देख-रेख;

(iv) बहिरंग रोगी सेवाएँ और आपातकालीन/संकट हस्तक्षेप.

(5). प्रवर्ग ग मानसिक स्वास्थ्य स्थापन

(क) सामान्य या बहु-विशेषज्ञता वाले अस्पतालों, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इकाइयों और इसी प्रकार की सुविधाकेंद्रों के भाग के रूप में एक मनश्चिकित्सा इकाई या वार्ड होगा, जो अन्य चिकित्सा विशेषज्ञताओं के साथ-साथ अंतरंग रोगी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करेगा;

(ख) इसमें निजी बहु-विशेषज्ञतावाले अस्पतालों और जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिला अस्पतालों, उप-जिला या तालुका अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत अंतरंग रोगी मनश्चिकित्सा इकाइयाँ, विभाग या वार्ड सम्मिलित हैं;

(ग) निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है, अर्थात्: -

(i) अल्प से मध्यम अवधि की अंतरंग रोगी देख-रेख;

(ii) सह-रुग्ण मनश्चिकित्सा और शारीरिक स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एकीकृत देख-रेख;

(iii) बहिरंग रोगी सेवाएँ और आपातकालीन/संकटकालीन हस्तक्षेप.

(6) प्रवर्ग घ मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में

(क) किसी अन्य स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य संस्थान या संगठन का हिस्सा बने बिना, मादक पदार्थों के सेवन संबंधी विकारों के लिए विशेष अंतःरोगी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक स्वतंत्र या समर्पित केंद्र होगा;

(ख) इसमें एकल नशामुक्ति केंद्र सम्मिलित हो सकते हैं, जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत व्यसनग्रस्त व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र और व्यसन उपचार सुविधाएं जैसी सुविधाएं सम्मिलित हैं;

(ग) अल्पकालिक निर्विषीकरण से लेकर दीर्घकालिक आवासीय पुनर्वास तक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जिनमें तीक्ष्ण निर्विषीकरण, विनिवर्तन प्रबंधन और पुनर्वास सम्मिलित हैं।

(7) प्रवर्ग ङ मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में

(क) मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए आवासीय मनोसामाजिक पुनर्वास और दीर्घकालिक समुदाय-आधारित देख-रेख के लिए एक केंद्र होगा, जिसमें दैनिक जीवन की गतिविधियों, स्वास्थ्य लाभ, स्वतंत्र जीवन, कौशल विकास और सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए सहायता सम्मिलित होगी;

(ख) इसमें क्वार्टर-वे होम, हाफवे होम और दीर्घकालिक आवास गृह सम्मिलित होगें जहाँ रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध होगी;

(ग) निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं, अर्थात्: -

(i) जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्यात्मक सुधार और अनुकूल आवासीय वातावरण;

(ii) स्वतंत्र रहने की सुविधाएँ, सामुदायिक पुनः एकीकरण, और दीर्घकालिक समर्थित देख-रेख।

सुश्री आराधना पटनायक, अध्यक्ष (सीएमएचए)

[विज्ञापन-III/4/असा./298/2025-26]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में तारीख 18 दिसंबर, 2020 में अधिसूचना फा.सं.वी.15011/09/2019-पीएच-1, तारीख 18 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL MENTAL HEALTH AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2025

F. No.V.15012/26/2025/CMHA (E). — In exercise of the powers conferred by Section 122 of the Mental Healthcare Act, 2017, (10 of 2017) the Central Mental Health Authority hereby makes the following amendments in the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority) Regulations, 2020, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority) Amendment Regulations, 2025.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mental Healthcare (Central Mental Health Authority) Regulations, 2020, after Chapter – VI, the following Chapter shall be inserted, namely: -

"CHAPTER- VII

CLASSIFICATION AND CATEGORIES OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS

19. (1) Classification and Categories of Mental Health Establishments. The mental health establishments shall consist of the following classifications and categories as mentioned in the table below, namely:

TABLE

Serial number	*Classification*	*Category*
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	*Standalone Mental Health Establishments*	Category A
2.	*Psychiatric Department of Medical Colleges*	Category B
3.	*Psychiatric Wards of Multi-specialty Hospitals*	Category C
4.	*Standalone De-addiction Centres*	Category D
5.	*Centres for Psychosocial Rehabilitation*	Category E

(2). The mental health establishment specified in sub-regulation (1) shall be registered with the respective Authority under Section 65 of the Act.

(3). The Category A mental health establishment, -

(a) shall have a standalone and dedicated center for providing in-patient mental health services, without being part of a general or multi-specialty hospital setup;

(b) may include standalone central and state mental hospitals or institutes, private mental hospitals or institutes, and psychiatric nursing homes;

(c) may provide the following services, namely: -

(i) In-patient care, which may include acute crisis intervention, long-term care, and treatment for substance use disorders;

(ii) Comprehensive psychiatric services, including diagnostics, pharmacological and psychosocial interventions, and rehabilitation components.

(4). The Category B mental health establishment, -

(a) shall have in-patient facility as part of the psychiatric departments of medical colleges, providing integrated clinical and academic services;

(b) may include in-patient psychiatric wards of government and private medical colleges;

(c) may provide the following services, namely: -

(i) integrated academic and clinical structure of medical colleges, contributing to capacity building in mental health professions;

(ii) clinical care, undergraduate/postgraduate training, and may engage in psychiatric research;

(iii) integrated care for co-morbid psychiatric and physical health conditions;

(iv) outpatient services and emergency/crisis interventions.

(5). The Category C mental health establishment

(a) shall have a psychiatric unit or ward as part of general or multi-specialty hospitals, district mental health programme units and similar facilities, offering in-patient mental health services alongside other medical specialties;

(b) may include, in-patient psychiatric units, departments or wards within private multi-specialty hospitals and district mental health programme, district hospitals, sub-district or taluk hospitals and community health centres;

(c) may provide the following services, namely: -

(i) short to medium-term in-patient care;

(ii) integrated care for co-morbid psychiatric and physical health conditions;

(iii) outpatient services and emergency/crisis interventions.

(6). The Category D mental health establishment

(a) shall have a standalone or dedicated centre for providing specialised in-patient services for substance use disorders, without being part of any other health or mental health institution or organization;

(b) may include standalone de-addiction centres, including facilities such as integrated rehabilitation centres for addicts and addiction treatment facilities under the Ministry of Social Justice and Empowerment;

(c) may also provide the services of short-term detoxification to long-term residential rehabilitation, offering acute detoxification, withdrawal management, and rehabilitation.

(7). The Category E mental health establishment

(a) shall have a centre for residential psychosocial rehabilitation and long-term community-based care for persons with mental healthcare needs, including support for activities of daily living, recovery, independent living, skill development and social reintegration;

(b) may include quarter-way homes, halfway homes, and long-stay homes where overnight stay is provided;

(c) may provide the following services, namely: -

(i) life skills and vocational training, functional improvement and supportive residential environments;

(ii) independent living facilities, community reintegration, and long-term supported care".

Ms. ARADHANA PATNAIK, Chairperson (CMHA)

[ADVT.-III/4/Exty./298/2025-26]

Note: The principal regulations were published *vide* notification F.No.V.15011/09/2019-PH-1, dated the 18th December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 dated, the 18th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2025.08.13 19:41:38 +05'30'